न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 22/17–18

विकास बास्की बनाम् रैयान मौजा–दलदली गोपालपुर

–: आदेश :–

30.03.2021

वर्तमान प्रक्रिया आवेदक विकास बास्की, पे0–स्व0 पृथवी चंद बास्की सा0–दलदली गोपालपुर, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–दलदली गोपालपुर नं0–06 के ग्राम प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–172/रा0 दिनांक–09.02.2021 से प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–दलदली गोपालपुर नं0–06 प्रधानी मौजा है। पूर्व प्रधान पृथवी चंद बास्की की मृत्यू दिनांक–28.11.2017 को दलदली गोपालपुर में ही हो गई है। रिक्त पद पर बहाली हेतु आवेदक विकास बास्की, मौजा–दलदली गोपालपुर नं0–06 के अंतिम प्रधान स्व0 पृथवी चन्द बास्की के जयेष्ठ पुत्र है। स्व0 पृथवी चन्द्र बास्की उक्त मौजा के अंतिम प्रधान थे। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत वंशानुगत आवेदक विकास बास्की को मौजा–दलदली गोपालपुर नं0–06 का प्रधान नियुक्त करने हेतु भेजा गया है।

अभिलेख में संलग्न दस्तावेज एवं अधिवक्ताओं के बयान तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकनोंपरान्त स्पष्ट है कि प्रासंगिक मौजा अर्न्तगत अंतिम प्रधान स्व0 पृथवी चन्द बास्की थे, जिसकी मृत्यु दिनांक–28.11.2017 को होने के उपरान्त उक्त मौजा प्रधान पद रिक्त हुआ, जिसमें आवेदक विकास बास्की उनके जयेष्ठ पुत्र होने के कारण प्रधानी पद के प्रबल दावेदार है। प्रासंगिक मौजा के 16 आना रैयतों को सामान्यतः आवेदक विकास बास्की स्वीकार है। इनके विरूद्ध संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनिमय, 1950 के तहत वर्णित किसी भी प्रकार की आयोग्यता से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अतः आवेदक के आवेदन के विरूद्ध मौजा के 16 आना रैयतों से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विकास बास्की, पे0–स्व0 पृथवी चंद बास्की सा0–दलदली गोपालपुर, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम,

1949 की धारा–6 के तहत मौजा–दलदली गोपालपुर नं0–06 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

30/03/21

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

30/03/21

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.02.03 13:53:29 +05:30
Location: 192.168.8.107